



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 08.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मैंगलगंज पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब व महिन्द्रा ट्रैक्टर मय रैपर बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08/09/2021 को थाना मैंगलगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान औरंगाबाद रोड ओवरब्रिज के नीचे अभियुक्तों 1.सन्दीप पुत्र जय नारायण 2.रोहित उर्फ मोन्टी पुत्र जयपान सर्व निवासीगण ग्राम रिठाल थाना गिलौड़ जनपद रोहतक हरियाणा को 19 पेटी रायल चैलेन्ज फुल बोतल कुल 228 बोतलें, 125 फुल बोतलें रायल चैलेन्ज, 17 हाफ बोतल रायल चैलेन्ज, 08 पेटी इम्पीरियल ब्लू फुल बोतल कुल 96 बोतलें, 08 फुल बोतल इम्पीरियल ब्लू, 08 पेटी रायल स्टैंग फुल बोतल कुल 96 बोतलें कुल 624 बोतलें व 17 हाफ रायल स्टैंग, कुल 642 बोतलें व कुल 641 हाफ बोतलें हरियाणा मार्का कीमत लगभग 700000/- रूपया मय महिन्द्रा ट्रैक्टर 265 DI लाल रंग व मय मडलोडर (रैपर) के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 440/2021 धारा 60/63/72 उत्तरप्रदेश आबकारी अधिनियम व 207 मोटरयान अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1-सन्दीप पुत्र जय नारायण निवासी ग्राम रिठाल थाना गिलौड़ जनपद रोहतक हरियाणा (उम्र करीब 31 वर्ष)
- 2-रोहित उर्फ मोन्टी पुत्र जयपान निवासी ग्राम रिठाल थाना गिलौड़ जनपद रोहतक हरियाणा (उम्र करीब 20 वर्ष)

बरामदगी का विवरण:-

1. 19 पेटी रायल चैलेन्ज फुल बोतल कुल 228 बोतलें

2. 125 फुल बोतलें रायल चैलेन्ज
3. 17 हाफ बोतल रायल चैलेन्ज
4. 08 पेटी इम्पीरियल ब्लू फुल बोतल कुल 96 बोतलें
5. 08 फुल बोतल इम्पीरियल ब्लू
6. 08 पेटी रायल स्टैंग फुल बोतल कुल 96 बोतलें कुल 624 बोतलें
7. 17 हाफ रायल स्टैंग टोटल 642 कुल बोतलें कुल 641 हाफ बोतलें हरियाणा मार्का
8. महिन्द्रा ट्रैक्टर 265 DI लाल रंग चेचिस नम्बर DV1061006510070B1
9. अनमोल मडलोडर (रैपर) रंग हरा

अपराधिक इतिहास-

1. सन्दीप पुत्र जय नरायण निवासी ग्राम रिठाल थाना गिलौड़ जनपद रोहतक हरियाणा उम्र करीब 31 वर्ष मु0अ0सं0 440/2021 धारा 60/63/72 उत्तरप्रदेश आबकारी अधिनियम व 207 मोटरयान अधिनियम
2. रोहित उर्फ मोन्टी पुत्र जयपान निवासी ग्राम रिठाल थाना गिलौड़ जनपद रोहतक हरियाणा उम्र करीब 20 वर्ष मु0अ0सं0 440/2021 धारा 60/63/72 उत्तरप्रदेश आबकारी अधिनियम व 207 मोटरयान अधिनियम

गिरफ्तारी टीम:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. प्रभारी निरीक्षक चिरंजीव मोहन | 6. का0 बादल सिंह |
| 2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार | 7. का0 मनोज गुप्ता |
| 3. उ0नि0 श्री मोहम्मद अनीस | 8. का0 रामभूल वर्मा |
| 4. का0 सूरज सोनी | 9. का0 विजय तिवारी |
| 5. का0 अतुल त्रिपाठी | 10. का0वालक प्रेमचन्द्र |

थाना मितौली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त रावेन्द्र आलाकल्ल सहित गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 306/21 धारा 302 भादवि0 में वांछित अभियुक्त रावेन्द्र उर्फ नन्हें पुत्र सन्तराम नि0 ढढौरा थाना मितौली खीरी को आलाकल्ल (तहमद) सहित गिरफ्तार किया गया।

थाना फरधान पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त रावेन्द्र आलाकत्त सहित गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा अ०सं० 238/16 धारा 354/323/452/504 भादवि० 7/8 पॉक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त आसाराम पुत्र बिन्द्रा नि० ग्राम राजेपुर थाना फरधान खीरी को गिरफ्तार किया गया।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा 01 अदद चाकू सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त चन्दन उर्फ फद्दू पुत्र रिद्धासी निवासी राजापुर थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 370/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 130 लीटर अवैध शराब सहित 11 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **130 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए। विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना खीरी	80 लीटर	08 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना फूलबेहड़	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना नीमगांव	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना ईसानगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	130 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार